


कार्यालय समिति की बैठक दिनांक 06.11.2009 के निर्णय क्रमांक 331/2009-10/01 अनुसार परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कार्यों में संलग्न कर्मचारियों के मानदेय में निम्नानुसार संशोधन किया गया है, जो वर्ष 2009-10 से लागू होगा।

i)	केन्द्राध्यक्ष	500 छात्रों तक	@150/- प्रतिदिन/प्रति परीक्षा
		500 छात्रों से अधिक	@200/- प्रतिदिन/प्रति परीक्षा
ii)	सहायक केन्द्राध्यक्ष		@100/- प्रतिदिन/प्रति परीक्षा
iii)	पर्यवेक्षक (INVIGILATOR)		@50/- प्रतिदिन/प्रति परीक्षा
iv)	लिपिक		@50/- प्रतिदिन/प्रति परीक्षा
v)	भृत्य		@30/- प्रतिदिन/प्रति परीक्षा
vi)	नैमित्तिक मद में व्यय		@5/- प्रतिछात्र (सम्पूर्ण परीक्षा के लिए)

उपरोक्त निर्णय के पालन में केन्द्र पर परीक्षा संचालन हेतु दी जाने वाली "परीक्षा अनुदान राशि" रु. 50/- प्रति छात्र नियत की जाती है। इसमें केन्द्राध्यक्ष की पारिश्रमिक राशि भी सम्मिलित होगी। केन्द्र पर आर्बिट्रल छात्र संख्या में वृद्धि नहीं होती है तो परीक्षा संचालन में प्रति छात्र दी गई अनुदान राशि के अलावा अधिक व्यय किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा। परीक्षा संबंधित A/c लेजर/ ब्याकअप को संबंधित केन्द्र/संस्था पर सुरक्षित रखा जावे। जिस परीक्षा केन्द्र पर छात्रों की संख्या न्यूनतम होने के कारण उक्त दरों पर प्रदान की गई अनुदान राशि से परीक्षा व्यय अधिक होता है, उसे आर्बिट्रल राशि का भुगतान तभी किया जायेगा जब केन्द्राध्यक्ष द्वारा व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत कर दिया जायेगा।



अध्यक्ष

माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश भोपाल
भोपाल दिनांक 15/12/09

पृष्ठा क्रमांक/746/वित्त-3/09

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त संचालक (वित्त) / वित्ताधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।
2. उप संचालक/सहायक संचालक आवासीय अंकेक्षण माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।
3. आंचलिक अधिकारी, आंचलिक कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इन्दौर।
4. उप सचिव, सभा कक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।
5. पंजीयक (परीक्षा/पत्राचार/अभिलेख) माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।
6. समस्त संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।
7. कक्षाधिकारी, वित्त-3, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. कक्षाधिकारी, समन्वय कक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल।
9. निज सहायक, अध्यक्ष/सचिव/अति. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश भोपाल

मण्डल परीक्षा समिति के निर्णय 15/11/2007 के अनुसरण में परीक्षा प्रश्नपत्र, मूल्यांकन, संकलन संबंधी विभिन्न मदों में पूर्व निर्धारित पारिश्रमिक दरों में संशोधन कर वर्ष 2008 की मुख्य परीक्षा से निम्नानुसार दरें प्रभावशील की जाती है :-

स.क्र.	विवरण	परीक्षा का नाम	संशोधित दरें
1-	प्रश्न पत्र सॉटिंग/माइरेटिंग अनुवाद एवं हिन्दी में आदर्श उत्तर तैयार करने सहित) टीप :- उक्त दरों में प्रश्नपत्र अंग्रेजी अनुवाद हेतु रुपये 200/- एवं हिन्दी माध्यम में आदर्श उत्तर तैयार करने हेतु रुपये 200/- प्रति प्रश्नपत्र सम्मिलित है। प्राशनिक द्वारा तीनों कार्य न करने पर संबंधित राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा। उक्त राशि का भुगतान संबंधित शिक्षक से अंग्रेजी अनुवाद/आदर्श उत्तर तैयार कराने पर किया जावेगा।	हाई स्कूल हा.सेकेण्ड्री	रु.1000/- प्रति प्रश्नपत्र रु.1200/- प्रति प्रश्नपत्र
2-	अनुसूचन प्रति प्रश्नपत्र (प्रश्नपत्र का अंग्रेजी अनुवाद एवं हिन्दी माध्यम में आदर्श उत्तर के अनुसूचन सहित) टीप :- उक्त दरों में आदर्श उत्तर के अनुसूचन हेतु रुपये 100/- प्रति आदर्श उत्तर का अनुसूचन भी सम्मिलित है। माइरेटर द्वारा दोनों कार्य न करने पर संबंधित राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।	हाई स्कूल हा.सेकेण्ड्री	रु 400/- प्रति प्रश्नपत्र रु. 450/- प्रति प्रश्नपत्र
3-	अनुसूचन हेतु स्थानीय शिक्षकों को बुलाने का स्थानीय साहजन भत्ता।	हाई स्कूल हा.सेकेण्ड्री	रु 50/- प्रतिदिन रु 50/- प्रतिदिन

- टीप :- 1. स्थानीय परीक्षा (9वीं एवं 11वीं) के प्रश्नपत्र निर्माण, अनुसूचन मण्डल द्वारा कराये जाने पर कक्षा 9वीं के लिये हाईस्कूल के समान तथा कक्षा 11वीं के लिये हायर सेकेण्ड्री के समान पारिश्रमिक देय होगा।
2. अन्य परीक्षाएँ - हायर सेकेण्ड्री व्यावसायिक, प्री-प्राथमरी, शारीरिक शिक्षा एवं डी. एड के प्रश्नपत्र निर्माण एवं अनुसूचन हेतु हायर सेकेण्ड्री के समान पारिश्रमिक देय होगा।

स.क्र.	विवरण	परीक्षा का नाम	संशोधित दरें
2-	मुख्य परीक्षा की उत्तर परीक्षा का मूल्यांकन		
4-	उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रति उत्तर पुस्तिका	हाई स्कूल हा.सेकेण्ड्री	रु. 5/- प्रति उ.पु. रु 8/- प्रति उ.पु.
5-	उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन हेतु उच्चतम भुगतान	हाईस्कूल/ज.सं.	रु 100/-
6-	मुख्य परीक्षा का पारिश्रमिक प्रतिदिन	हाई स्कूल हा.सेकेण्ड्री	रु 300/- प्रतिदिन रु 350/- प्रतिदिन
7-	उप मुख्य परीक्षा, इन्टरमीडियर का पारिश्रमिक प्रति उत्तरपुस्तिका (अधीनस्थ शिक्षकों द्वारा प्रतिदिन जांचें गई उ.पु. के अनुसार)	हाई स्कूल हा.सेकेण्ड्री	75/- प्रति उ.पु. रु 1/- प्रति उ.पु.

सं.क्र.	विवरण	परीक्षा का नाम	संशोधित दर
8-	मूल्यांकन केन्द्र अधिकारी का पारिवर्गिक सम्पूर्ण मूल्यांकन अवधि के लिये।	हाई स्कूल हा.सेकेण्ड्री	रु 8000/- रु 10000/-
9-	सहायक मूल्यांकन केन्द्र अधिकारी का पारिवर्गिक सम्पूर्ण मूल्यांकन अवधि के लिये।	हाई स्कूल हा.सेकेण्ड्री	रु 7000/- रु 8000/-
10-	मूल्यांकन हेतु समस्त परीक्षकों को देय वाहन भत्ता दैनिक भत्ता बाहर के परीक्षकों के लिये (स्थानीय को छोड़कर) बाहर से आने वाले परीक्षकों को आने-जाने का वास्तविक द्वितीय श्रेणी रेल/बस किराया भी न्यूनतम मार्ग से देय होगा।	-	रुपये 50/- प्रतिदिन रुपये 50/- प्रतिदिन
11-	वाहन भत्ता-मूल्यांकन केन्द्र से संबंधित अधिकतम कुल 07 वर्गियों के लिये (यह भत्ता मूल्यांकन प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व से तथा मूल्यांकन समाप्ति के एक दिन पश्चात तक की अवधि के लिये देय होगा।)	-	रुपये 50/- प्रतिदिन
12-	मृत्यु आकांक्षक (30 परीक्षकों के एक गुल के मान से वास्तविक मूल्यांकन कार्य दिवस हेतु)	-	कलक्टर द्वारा मान्य दरों पर रुपये 50/- प्रतिदिन
13-	मृत्यु नियमित (विद्यालय के नियमित मृत्यु हेतु वास्तविक कार्य दिवस अनुसार)	-	रुपये 50/- प्रतिदिन
14-	विजली खर्च	-	रुपये 2500/- जिला मुख्यालय हेतु रु 2000/-
15-	फोन व्यय (वास्तविक व्यय)	-	रु 1200/- से अधिक नहीं
16-	आक व्यय	-	वास्तविक व्यय
17-	नैमित्तिक व्यय -	-	रु 3/- प्रति 100 उत्तरपुस्तिकाओं के मान से
18-	विद्यालय के लिपिक का मानदण्ड (मूल्यांकन अवधि हेतु)	-	रुपये 70/- प्रतिदिन
19-	स्वीपर	-	रुपये 500/-
20-	पेयजल व्यवस्था	-	रुपये 500/-
21-	खाना	-	रुपये 600/-
22-	स्वल्पाहार	-	रुपये 400/-
23-	फर्नीचर दलाई	-	रुपये 1/- प्रतिगि
24-	मूल्यांकन केन्द्र पर परीक्षकों के मानदण्ड देयकों की जाच हेतु	-	रुपये 500/-
25-	समस्त अंक मुख्यालय तक पहुंचाने हेतु दो बार का आने-जाने का द्वितीय श्रेणी रेल/बस किराया एवं पात्रतानुसार दैनिक भत्ता	-	द्वितीय श्रेणी रेल/बस का वास्तविक किराया एवं रु 200/- नैमित्तिक व्यय हेतु
3. मद:- जिला स्तर पर उ.पु. संकलन			
26-	जिला स्तर पर उ.पु. संकलन हेतु प्रामाण्य/संकलन प्रणाली को वास्तविक परीक्षा दिवसों के लिये	-	रुपये 125/- प्रतिदिन
27-	एक व्याख्याता को वास्तविक परीक्षा दिवसों के लिये	-	रुपये 30/- प्रतिदिन
28-	एक लिपिक को वास्तविक परीक्षा दिवसों के लिये	-	रुपये 60/- प्रतिदिन
29-	दो मृत्यों को वास्तविक परीक्षा दिवसों के लिये	-	रुपये 50/- प्रतिदिन प्रति मृत्यु
30-	जिला संकलन अधिकारी (सहायक) द्वारा मानदण्ड से उ.पु. संकलन हेतु एक शिक्षक को वास्तविक संकलन दिवस हेतु	-	रुपये 80/- प्रतिदिन

सं.क्र.	विवरण	परीक्षा का नाम	संशोधित दर
	एक पुलिस गार्ड वारस्तविक रक्षण दिवस हेतु	-	रुपये 50/- प्रतिदिन
20-	थाना संकलन केन्द्र प्रगारी व संकलन हेतु वारस्तविक परीक्षा दिवसों के लिये	-	रुपये 70/- प्रतिदिन
4. मद :- प्रायोगिक परीक्षा व्यवस्था			
27-	प्रायोगिक परीक्षा की व्यवस्था (वाह्य परीक्षक एवं आंतरिक परीक्षक हेतु)	हाईस्कूल हायर सेकेण्ड्री	रुपये 4/- प्रति छात्र रुपये 5/- प्रति छात्र
28-	प्रयोगशाला सहायक प्रति छात्र प्रति विषय	हाईस्कूल हायर सेकेण्ड्री	75पैसे प्रति छात्र या न्यूनतम 60रु रु1/- प्रति छात्र या न्यूनतम 80रु दोनों में से जो भी अधिक हो।
29-	प्रायोगिक परीक्षा की समन्वय संस्था के प्राचार्य को	-	रुपये 600/-
30-	समन्वयक संस्था के सहायक को	-	रुपये 250/-
31-	कार्य से संबंधित लिपिक का अधिकतम	-	रुपये 100/-
32-	कार्य से संबंधित भृत्य को रकम राशि	-	रुपये 70/-
33-	जिले के सभी संस्थाओं से प्राप्त लिफाफों की पैकिंग एवं डाक व्यय हेतु	-	रुपये 180/-
5. मद :- उत्तरपुरस्तिकाओं का अंक सत्यापन			
34-	अंक सत्यापन हेतु प्रति उत्तरपुरस्तिका	हाईस्कूल हायर सेकेण्ड्री	रुपये 2/- प्रति.उ.पु. रुपये 2/- प्रति.उ.पु.
35-	अंक सत्यापन उपरांत अमूर्त प्रश्नों के उत्तर का मूल्यांकन कराने हेतु	हाईस्कूल हायर सेकेण्ड्री	रुपये 1.50/-प्रति.उ.पु. रुपये 1.50/-प्रति.उ.पु.
6. मद :- पूरक परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु			
36-	पूरक परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु सुपरवाइजर (परीक्षकों द्वारा प्रतिदिन जांची गई उत्तरपुरस्तिका के लिये प्रति उ.पु. से वारस्तविक धनराशि)	हाईस्कूल हायर सेकेण्ड्री	75 पैसे प्रति.उ.पु. रुपये 1/- प्रति उ.पु.
37-	उत्तरपुरस्तिका के मूल्यांकन हेतु प्रति उत्तरपुरस्तिका	हाईस्कूल हायर सेकेण्ड्री	रुपये 5/- प्रति.उ.पु. रुपये 6/- प्रति.उ.पु.
38-	मूल्यांकन केन्द्र अधिकारी (सम्पूर्ण मूल्यांकन अवधि के लिये)	-	रुपये 1000/-
39-	सहायक मूल्यांकन केन्द्र अधिकारी (सम्पूर्ण मूल्यांकन अवधि के लिये)	-	रुपये 800/-
40-	वाहन भंता समस्त परिक्षकों के लिये तथा मूल्यांकन केन्द्र के कुल 05 कर्मियों के लिये केवल मूल्यांकन अवधि हेतु	-	रुपये 50/- प्रतिदिन
41-	भृत्य आकरिमक (30 परीक्षाओं पर एक भृत्य अधिकतम 06 भृत्य) वारस्तविक मूल्यांकन दिवसों हेतु	-	कलेक्टर द्वारा मान्य दर
42-	विजली खर्च	-	वारस्तविक व्यय
43-	फोन खर्च (राशि जमा करने संबंधी रसीद प्रस्तुत करने पर)	-	रुपये 600/-
44-	डाक व्यय	-	वारस्तविक व्यय
45-	नैमित्तिक व्यय	-	रुपये 3/- प्रति 100 उ0पु0 (मूल्यांकन केन्द्र पर आवंटित उ.पु. के मान से)
46-	लिपिक वर्ग का पारिश्रमिक मूल्यांकन अवधि में	-	रुपये 70/- प्रतिदिन
47-	रवीपर (मूल्यांकन अवधि के लिये)	-	रुपये 200/-
48-	परीक्षकों के भोजन की व्यवस्था हेतु	-	रुपये 250/-

स.क्र.	विवरण	परीक्षा का नाम	संशोधित दर
49-	स्वल्पाहार की व्यवस्था हेतु	-	रुपये 400/-
50-	पूरक परीक्षा के अंक एक बार मू.पालस तक पहुंचाने का द्वितीय श्रेणी रेल/यस का किराया एवं पात्रतानुसार दैनिक भत्ता।	-	द्वितीय श्रेणी रेल/यस का वास्तविक किराया एवं रु.100/- नैमित्तिक व्यय

(डी.डी.अंग्रेवाल)

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल, दिनांक 12/12/2007

पृष्ठा. क्रमोंक/गोपनीय/546/2007
प्रतिलिपि :-

1. अपर संचालक, (वित्त)/ निज अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल
2. उप संचालक/सहायक संचालक, आवारसीय अंकेक्षण माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल
3. आंचलिक अधिकारी, आंचलिक कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश इन्दौर
4. उप सचिव, सभा कक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल
5. पंजीयक (परीक्षा/पत्राचार/अभिलेख) माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल
6. सम्स्त संगामीय अधिकारी, संगामीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश कक्षाधिकारी, वित्त-3, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल
7. निज सहायक, अध्याक्ष/सचिव/अतिरिक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है।
- 8.

(नीरज दुबे)
अतिरिक्त सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश भोपाल
12.12.07

मध्यप्रदेश राज्य ओपन स्कूल, भोपाल

विषय परीक्षा जुलाई 2010 संकलन केन्द्र अनुदान

पृष्ठ क्र. 01

विभाग

लेखा

उप विभाग

टिप्पणियां तथा आज्ञायें

पूर्व परीक्षा दिसम्बर 2009 की उत्तर पुस्तिका संकलन के लिए 50 संकलन केन्द्रों प्रति एक 5000.00 रु. की राशि भेजी गई थी।

अधिकांश केन्द्र द्वारा संकलन व्यय रु.5000.00 से 6000.00 के मध्य कर देयक इस कार्यालय में प्रस्तुत किये है।

म.प्र.राज्य ओपन स्कूल, भोपाल की परीक्षा जुलाई 2010,दिनांक 20.07.2010 से प्रारंभ हो रही है। इस परीक्षा की उत्तर पुस्तिका संकलन कार्य हेतु कार्यालय द्वारा 50 संकलन केन्द्रों का निर्धारण किया है। (सूची संलग्न) संकलन कार्य में होने वाले व्यय माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश, भोपाल के आदेश क्र. /गोपनीय/545/2007/ भोपाल दिनांक 12.12.07 के अनुसार संकलन केन्द्राध्यक्ष द्वारा निम्न मदों में व्यय किया जावेगा।

जिला स्तर पर उ.पु संकलन:-

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. जिला स्तर पर उ.पु.संकलन हेतु प्राचार्य/संकलन प्रभारी को वास्तविक परीक्षा दिवसों के लिये. | 125.00 रुपये प्रतिदिन ✓ |
| 2.एक व्याख्याता को वास्तविक परीक्षा दिवसों के लिये. | 80.00 रुपये प्रतिदिन ✓ |
| 3.एक लिपिक को वास्तविक परीक्षा दिवसों के लिये. | 60.00 रुपये प्रतिदिन ✓ |
| 4.दो भृत्यों को वास्तविक परीक्षा दिवसों के लिये. | 50.00 रुपये प्रतिदिन प्रति भृत्य ✓ |
| 5.जिला संकलन अधिकारी (प्राचार्य) द्वारा यानों से उ.पु.संकलन हेतु एक शिक्षक का वास्तविक संकलन दिवसों के लिये | 80.00 रुपये प्रतिदिन ✓ |
| 6.एक पुलिस गार्ड वास्तविक संकलन दिवसों के लिये | 50.00 रुपये प्रतिदिन ✓ |
| 7.थाना संकलन केन्द्र प्रभारी के संकलन हेतु वास्तविक परीक्षा दिवसों के लिये | 70.00 रुपये प्रतिदिन ✓ |
| 8.उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन केन्द्र भेजने हेतु वाहन व्यय (जाना एव आना) | वास्तविक व्यय |

एवज I

एवज III

एवज II

हाईस्कूल/हायरसेकेण्डरी परीक्षा की उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा निर्धारण दरों का विवरण-

क्र. मद का विवरण	स्वीकृत राशि	
	पूर्व	वर्तमान
1. प्रेक्षक	500/-प्रतिदिन	500/-प्रतिदिन वाहनभत्ता सहित ✓
2. मुख्य परीक्षक	350/-प्रतिदिन	450/-प्रतिदिन वाहन भत्ता सहित ✓
3 उपमुख्य परीक्षक	निल	400/-प्रतिदिन वाहन भत्ता सहित ✓
4. उ.पु.मूल्यांकन हेतु मानदेय		
अ. हाईस्कूल	5/-प्रति उ.पु.	9/- प्रति उ.पु. ✓
ब. हायर सेकेण्डरी	6/-प्रति उ.पु.	10/-प्रति उ.पु. ✓
5. उ.पु.मूल्यांकन हेतु न्यूनतम	निल	100/- ✓
6. मूल्यांकन अधिकारी	5,000/-	2 लाख उ.पु. तक- 10,000/- ✓ वाहन भत्ता सहित 2लाख से 4 लाख उ.पु. तक 120,00/- वाहन भत्ता सहित 4लाख से अधिक 15,000/- वाहन भत्ता सहित
7. सहा.मूल्यांकन अधि.	4,000/-	2लाख उ.पु.पर एक सहा.मूल्यांकन अधि. 2लाख से 4 लाख 2 सहा.मूल्यांकनअधि. 4लाख से अधिक अधिकतम 3सहा.मूल्यां. अधि.प्रत्येक को रु. 9,000/-वा.भत्ता सहित
8 अ.वाहन भत्ता (समस्त परीक्षकों के लिये)	50/-प्रतिदिन	50/-प्रतिदिन
ब. दैनिक भत्ता बाहर के परीक्षकों के लिये	50/-प्रतिदिन	50/-प्रतिदिन एवं आने एवं जाने का वास्तविक द्वितीय श्रेणी रेल/बस किराया
9. भृत्य (आकस्मिक)	कलेक्टर दर 133/-प्रतिदिन	125/-प्र.दिन 50 परीक्षकों के लिये 1,वाहन भत्ता सहित
10. भृत्य (नियमित)	50/-प्रतिदिन	125/-प्र.दिन वाहन भत्ता सहित
11. बिजली खर्च	2,000/-	2 लाख उ.पु. तक रु. 3,000/- ✓ 2 लाख से 4 लाख तक 4,000/- 4 लाख से अधिक 5,000/-
12. फोन व्यय	12,00/-	2 लाख उ.पु. तक रु. 1,500/- 2 लाख से 4 लाख तक 2,000/- 4 लाख से अधिक 3,000/- पूर्ण मूल्यांकन अवधि हेतु
13. डाक व्यय	निल	वास्तविक व्यय ✓
14. लिपिक	70/-प्र.दिन	150/-प्र.दिन (3नियमित लिपिक वाहन भत्ता सहित)
15. नैमित्तिक व्यय	3/-(100उ.पु.पर)	3/- (100 उ.पु. पर)
16. सफाई कर्मी	निल	125/-प्र.दिन वाहन भत्ता सहित
17. बिल/चेक जॉचकर्ता	1/-प्रति बिल	पूर्ण मूल्यांकन अवधि 2/-प्रति बिल